20/10/22

पटावली पेश हुई। बैकड पटावली का इस वाद पत्र पत्रावली का अवलोकन किया। वादी विलम्ब से प्रस्तुत हुआ। प्रस्तुत अपील विधान का चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अपील निरस्त किया जाता है। पटावली फैसला शुमार किया नकल के काम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2023.01.03 13:12:40 IST
Reason: SelfAttested